UPBS040174842025

न्यायालय IInd Addl. Civil Judge(Senior Division)/ACJM, Basti

पीठासीन अधिकारी– (DEVENDRA KUMAR-I), **(उ०प्र० न्यायिक सेवा)** – UP02129

Criminal Misc. Cases/2609/2025

Kanhaiya Lal Vs. Unknown

धारा– 173(4) बी०एन०एस०एस०
थाना–मुण्डेरवा, जिला–बस्ती

15.11.2025

पत्रावली पेश हुई। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी०एन०एस०एस० पर सुना गया।

आवेदक/प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा –173(4) बी०एन० एस०एस० प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थी के नाम से एक ट्रक पंजीकरण सं० – UP51AT1973 है, जिसका चालक भी प्रार्थी है। दिनांक 10.09.2025 को बस्ती से सहजनवा गाड़ी से डी.ओ.सी. (व्रान) लोड करने जा रहा था। मुजहना से 700 मीटर पहले गाड़ी का इन्जन गरम होकर गाड़ी बन्द हो गयी, प्रार्थी ने स्टार्ट करने की कोशिश किया परन्तु स्टार्ट नहीं हुआ। वहां से लगभग 9.30 बजे प्रार्थी मुजहना गया और भाड़े के साधन से हड़िया पार्किंग मिस्त्री लेने आया, जब पहुंचा तो मिस्त्री की दुकान बन्द मिली। मिस्त्री के बारे में पता किया तो पता चला कि सुबह मिलेगा तथा प्रार्थी ने वहां हड़िया के पास होटल में खाना खाया। प्रार्थी अपने ट्रक के पास लगभग 11.30 बजे पहुंचा तो देखा कि प्रार्थी का ट्रक गायब है। प्रार्थी ने ट्रक को ढूंढा लेकिन ट्रक नहीं मिला। प्रार्थी उसी दिन खजौला चौकी पर गया। दिनांक 11.09.2025 को थाना मुण्डेरवा पर गया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। प्रार्थी ने उक्त घटना की सूचना जरिए रजिस्ट्री पुलिस अधीक्षक बस्ती को दिया, परन्तु वहां से भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। प्रार्थी ने याचना किया है कि थानाध्यक्ष मुण्डेरवा को मुकदमा दर्ज कर विवेचना हेतु आदेशित किया जाए।

थाने से आख्या आहुत की गई। थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार थाना हाजा में कोई मुकदमा प्रार्थना पत्र के बावत पंजीकृत नहीं है।

आवेदक/प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र, पुलिस अधीक्षक बस्ती को प्रेषित पत्र की छायाप्रति एवं रजिस्टर्ड डाक रसीद, थानाध्यक्ष मुण्डेरवा को प्रेषित पत्र की छायाप्रति, वाहन के परमिट पत्र की छायाप्रति, वाहन के बीमा का छायाप्रति, वाहन के पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति तथा वाहन से सम्बन्धित अन्य कागजात एवं आधार कार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत किया है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4)बी.एन.एस.एस. में यह बताया है कि प्रार्थी दिनांक 10.09.2025 को अपने वाहन UP51AT1973 से सहजनवा से डी.ओ.सी. (व्रान) लोड करने जा रहा था।
प्रार्थी द्वारा बताया गया कि मुजहना से 700 मीटर पहले गाड़ी का इन्जन गरम हो गया, जिस कारण गाड़ी बन्द हो गयी, प्रार्थी ने गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश किया, परन्तु स्टार्ट नहीं हुआ। प्रार्थी द्वारा यह भी बताया गया कि प्रार्थी वहां से लगभग 9.30 बजे प्रार्थी मुजहना गया और भाड़े के साधन से हड़िया पार्किंग मिस्त्री लेने आया, जब पहुंचा तो मिस्त्री की दुकान बन्द मिली। मिस्त्री के बारे में पता किया तो पता चला कि सुबह मिलेगा तथा प्रार्थी ने वहां हड़िया के पास होटल में खाना खाया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में यह भी बताया है कि प्रार्थी अपने ट्रक

के पास लगभग 11.30 बजे पहुंचा तो देखा कि प्रार्थी का ट्रक गायब है। प्रार्थी ने ट्रक को ढूंढा लेकिन ट्रक नहीं मिला। अतः उक्त समग्र तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए विपक्षी द्वारा संज्ञेय अपराध कारित किया गया है। प्रस्तुत मामले में बरामदगी का प्रश्न है। अतः मामले की विवेचना पुलिस द्वारा कराया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० स्वीकार किया जाता है। थानाध्यक्ष, थाना–मुण्डेरवा, बस्ती को आदेशित किया जाता है कि वह प्रार्थी के प्रार्थऩा पत्र के प्रकाश में अभियुक्त के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधि के अनुसार विवेचना करायें तथा एफ०आई०आर० की प्रति एक सप्ताह के अन्दर न्यायालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

दिनांकः–15.11.2025

(देवेन्द्र कुमार–I)
द्वितीय अपर सिविल जज (सी०डि०)/
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रट, बस्ती।